# राजस्थान सरकार
# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
# (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)/ग्रावि./नरेगा/संविदा/2010 पार्ट-2 जयपुर दिनांक : 15.05.2015

## कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2015 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर पहले से प्रतिनियुक्त एवं संविदा कार्मिकों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 30.06.2015 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसी क्रम में इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 13.10.2014 के बिन्दु संख्या 4 में आंशिक संशोधन करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कर्मियों को नये अनुबन्ध के तहत 5वें वर्ष में देय पारिश्रमिक पर रखा जायेगा। नये अनुबन्ध में एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पारिश्रमिक में वृद्धि देय होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा कार्मिकों को पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देय होगी।

इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ऐसे संविदा कार्मिक जिन्होंने बिना व्यवधान के लगातार 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें **पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972** की धारा 4(1) के तहत संविदा सेवा समाप्ति पर नियमानुसार ग्रेच्यूटी राशि देय होगी। गेच्यूटी की राशि देने की प्रकिया **पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट (सेन्ट्रल) रूल्स 1972** में वर्णनानुसार होगी।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 101501432 दिनांक 14.05.2015 एवं विधि विभाग की आईडी क्रमांक 216/M/Law/15 दिनांक 10.04.2015 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

15/5/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, विधि एवं न्याय विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
10. परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस।
11. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
12. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग–1) विभाग, जयपुर।
16. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
17. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
18. रक्षित पत्रावली।

/ अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस